उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-2741/62-2-2016-2/4(42)/2016
लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर,2016

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधीक्षण अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित वृत्त के साथ-साथ स्तम्भ-4 में अंकित वृत्त/अधिष्ठान मुख्यालय का कार्य अतिरिक्त रूप से सम्पादित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त कार्यभार का स्थान/पद
1	2	3	4
1-	श्री बी0बी0 सिंह	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त इलाहाबाद	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ
2-	श्री राजीव कुमार जैन	अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, लघु सिंचाई विभाग	अधीक्षण अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) मुख्यालय,

2- इस हेतु श्री बी0 बी0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, इलाहाबाद एवं श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, लघु सिंचाई विभाग को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण् अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार श्री राजेन्द्र, अधीक्षण अभियंता द्वारा देखा जा रहा था। वह अब मुख्यालय के पद का ही कार्य देखेगें। (31.12.2016 को सेवा निवृत्त हो जायेगें)।

4- उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) मुख्यालय, लघु सिंचाई विभाग के पद पर तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव।

सं0-2741(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/मुख्यालय द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in